



# State Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

## Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 1698 /SEIAA/

Date: 23-9-22

प्रति,

श्री सुरेन्द्र सिंह,  
आत्मज श्री लक्ष्मीनरायण सिंह,  
निवासी गीतांजली भवन के पास, नया आमपुरा मुरैना  
जिला मुरैना (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/287504/2022 .. प्रकरण क्र. 9293 / 2022 परियोजना प्रस्तावक श्री महेन्द्र शर्मा आत्मज श्री रामअवतार शर्मा निवासी 23 एन्यू सारिका नगर थाटीपुर, ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1772 रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम— प्रकाश बम्हौरी, तहसील —गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री लक्ष्मीनरायण सिंह, निवासी गीतांजली भवन के पास, नया आमपुरा मुरैना (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 747वीं बैठक दिनांक 14.09.2022 में विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया —

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1772 रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम, प्रकाश बम्हौरी, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र) परियोजना प्रस्तावक श्री महेन्द्र शर्मा आत्मज श्री रामअवतार शर्मा निवासी 23 —ए न्यू सारिका नगर थाटीपुर, ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री महेन्द्र शर्मा आत्मज श्री रामअवतार शर्मा निवासी 23 —ए न्यू सारिका नगर थाटीपुर, ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री लक्ष्मीनरायण सिंह निवासी गीतांजली भवन के पास, नया आमपुरा मुरैना (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ—पत्र प्रस्तुत की गई है।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री लक्ष्मीनरायण सिंह निवासी गीतांजली भवन के पास, नया आमपुरा मुरैना (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ—पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद—विवाद न्यायालय में प्रचलन में

नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 2700 दिनांक 13.11.2017 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 839 दिनांक 31.03.2022 (शेष वैधता 24.07.2027 तक) की प्रति।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं। अतः डीईआईएए पत्र क्र 2700 दिनांक 13.11.2017 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति श्री महेन्द्र शर्मा आत्मज श्री रामअवतार शर्मा निवासी 23 एन्यू सारिका नगर थाटीपुर, ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पथर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1772 रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम— प्रकाश बम्हौरी, तहसील — गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री लक्ष्मीनरायण, निवासी गीतांजली भवन के पास, नया आमपुरा मुरैना (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.11.2017 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेंगी।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

क्र. 1699

/SEIAA/ 2022 भोपाल

दिनांक 23-9-22

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल — 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल — 462016।
4. कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली — 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल — 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल — 462002।
9. श्री महेन्द्र शर्मा आत्मज श्री रामअवतार शर्मा निवासी 23, एन्यू सारिका नगर थाटीपुर, ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)
10. खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी